बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

।। प्रेस विज्ञप्ति ।।

दिनांक–27.03.2020
समय–08:00 बजे अप०

COVID-19 Virus के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के आलोक में निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है:–

1. पशुओं एवं पक्षियों के आहार की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके परिवहन को निर्बाध रूप से करने के लिये सभी जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को निदेशित किया गया है।

2. Food Processing Industry के सुचारू रूप से कार्य करने हेतु इससे जुड़े सभी कार्यकलापों एवं परिवहन पर कोई रोक नहीं लगाने का निदेश दिया गया।

3. किराना, फल, सब्जी, दुग्ध इत्यादि आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को सुबह 6.00 बजे से संध्या 6.00 बजे तक ही खोलने के संबंध में सख्ती से अनुपालन करवाने का निदेश दिया गया।

4. राज्य के शहरी इलाकों में फसे हुए अन्य राज्य के निवासियों/ राज्य के निर्धन, निराश्रित आदि व्यक्तियों के लिये कुल 65 आपदा राहत केन्द्र संचालित किये गये, जिसमें आवासन के साथ–साथ भोजन की भी व्यवस्था की गयी है। उक्त आपदा राहत केन्द्रों में लगभग 2500 लोगों को भोजन कराया गया है। आपदा राहत केन्द्र में social distancing का विशेष ध्यान रखने का निदेश दिया गया।

5. बिहार राज्य के वैसे निवासी, जो अन्य राज्य में फँसे हुए हैं, उनके लिये संबंधित राज्यों से समन्वय स्थापित कर उनके आवासन एवं भोजन की व्यवस्था करायी जा रही है। इसके लिये स्थानीय आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है, जिनका helpline number - 011-23792000/ 23014326/ 23013884 है। इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत संचालित राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र के helpline number 0612- 2294204/ 2294205 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

6. राज्य में लागू lockdown के आलोक में सरकारी आदेश का उलंघन करने वाले कुल 77 व्यक्तियों पर FIR दर्ज कराया गया है। साथ ही कुल 2065 वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 179 के तहत कार्रवाई की गयी है।